

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

पीठसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - उदनार झरना

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 293/25 दायर दिनांक 27.9.2025

निर्णय दिनांक 27.09.2025



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उदनार झरना</u>	<u>27</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसूचित राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उदनार झरना</u> प.र. <u>उमकास</u> खतासं <u>27</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिनिधि पालनाथ:-			हस्ताक्षर गिरदापर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
			<p>हस्ताक्षर <u>उदनार झरना</u></p> <p>हस्ताक्षर <u>गिरदापर</u></p>	<p>हस्ताक्षर <u>कपासन</u></p>

1. पटवारी पटवार मण्डल उदनार झरना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन